



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V/132  
74/7/2023


क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2023/डी-1596

दिनांक:-14.7.22

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ. नि. स. स. /निजी खातेदारी /जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	-	श्री अशोक देवल पुत्र श्री चांवड दान देवल	श्री उमरदान पुत्र श्री मेघदान	1 ए	300.00	श्री गणेश नगर हा.	गणेश नगर ए	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपजीकृत इकरारनामा
2.	138994	श्रीमती नुपूर गुप्ता पत्नी डॉ. गोपाल कृष्ण गुप्ता एवं डॉ. गोपाल कृष्ण गुप्ता पुत्र श्री राधाकृष्ण गुप्ता	श्री सत्य नारायण इन्दोरिया पुत्र श्री घासीराम	एफ-131	200.00	न्यू पिंकसिटी	श्याम नगर विस्तार	नियमन एवं पट्टा विलेख	मूल दस्तावेज गुम होने बाबत
3.	142368	श्री चन्द्रकान्त कोठारी पुत्र स्व. श्री सुन्दर लाल कोठारी	श्रीमती तरुणलता पत्नी श्री सी. के. कोठारी	ए-92	400.00	न्यू पिंकसिटी	श्याम नगर	नाम हस्तान्तरण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र

  
उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट [www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in) एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (ग.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	05	श्रीमती गन्जू केसवानी पत्नी डॉ. प्रकाश केसवानी	श्रीमती गन्जू केसवानी पत्नी डॉ. प्रकाश केसवानी	5	आवासीय	पथिक भवन कटेवा नगर	406.47 व. म.	व्यावसायिक (डेढ़ गुना गहराई तक)	व्यावसायिक भू उपयोग

0-1598 दिनांक -14-7-23

-Sd/-  
उपायुक्त जोन-5  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-5  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2023/डी-1597

दिनांक:- 14.7.23

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ. नि. स. स. / निजी खातेदारी / जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	-	श्री रवि कुमार गुप्ता पुत्र श्री खेमचन्द गुप्ता	श्री रवि कुमार गुप्ता पुत्र श्री खेमचन्द गुप्ता	बी-7	302.22	तोपखानादेश	देवी चिरंजीव कॉलोनी	बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन करने बाबत	सहकारी समिति का आवंटन पत्र व साईट प्लान
2.	-	श्रीमती विमला मीणा पत्नी श्री किशन मीणा	श्री रामस्वरूप मीणा पुत्र श्री हरगोविन्द मीणा	ई-14	200.00	न्यू पिकसिटी	महेश नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
3.	140226	श्री अमरचन्द कुमावत पुत्र श्री भंवर लाल कुमावत	श्री राजाराम शर्मा पुत्र श्री रघुनाथ शर्मा	191	251.66	पथिक भवन	स्कीम 10 बी	नाम हस्तान्तरण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत ईकरारनामा

  
उपायुक्त जोन-5

### प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-1970

दिनांक 12/7/23

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	मृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती कृष्णाधर पत्नी श्री बंशीधर चारीक	श्रीमती गीरा अग्रवाल पत्नी श्री मुकेश अग्रवाल	403	150 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परस्ता	लीजडीड	नाम प्रतिस्थापन पत्र

उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू.ओ.नोट

विषय—आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में कराये जाने बाबत।

### सार्वजनिक आम सूचना

जविप्रा जोन-9 के क्षेत्राधिकार में राजस्व ग्राम महल में शिवशंकर गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना अशोक विहार 'बी' का नियमन शिविर पूर्व में दिनांक 21.03.2013 को आयोजित कर लीजडीड जारी की गई थी, परन्तु अशोक विहार बी योजना में 100 फिट सैक्टर रोड गुजरने के कारण सोसायटी द्वारा संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया गया, जिससे भूखण्डों की माप परिवर्तन होने के कारण योजना के भूखण्डधारियों द्वारा आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी, जिसके फलस्वरूप नियमन सम्बन्धी कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। "प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021-22" के तहत विकास समिति के माध्यम से योजना के भूखण्डधारियों द्वारा जोन में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लीजडीड जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। अतः किसी हितधारक/भूखण्डधारी को उक्त योजना के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो आगामी 15 दिवस में जोन-9 कार्यालय, जविप्रा, जयपुर में मय साक्ष्य/दस्तावेज उपस्थित होना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमन की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

जन सम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2023/क्रमांक:/डी- 9168  
दिनांक 13/7/23

917-  
उपायुक्त जोन-9  
जविप्रा, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-1847

दिनांक 13/7/2023


## आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटन का नाम	मू.सं.	भू.क्ष. (व.ग. में)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती सुजा देवी पुत्री श्री केशर लाल जाट	श्रीमती सुजा देवी पुत्री श्री केशल लाल	31	444.62	दी सांगानेर गृ.नि.स.स.	शताब्दी नगर	फ्री होल्ड	आवेदन पत्र में पिता का नाम भिन्न होने से।
2	श्री सुरेश टांक पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण टांक	स्वयं	45ए	113.19	बंधु गृ.नि.स.स.	सचिवालय विहार विस्तार 27ए	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में भूखण्ड संख्या 45ए अंकित नहीं होने से।

  
उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

  
उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8310): फैक्स - +91-141-2574555

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 1855

दिनांक:- 13/7/23

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन

ग्राम रामसिंपुरा उर्फ धौलाई के खसरा नम्बर 75 (नार्थ पार्ट) क्षेत्रफल 795 व0मी0 का आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जोन के पत्र क्रमांक डी-231 दिनांक 09.04.2021 के द्वारा श्री कजोड़ पुत्र श्री जगन्नाथ को जारी किया गया था। पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.06.2021 के आधार पर उक्त एकल पट्टे का नाम हस्तान्तरण जोन के पत्र क्रमांक डी-1875 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा प्रार्थी श्री केशव माहेश्वरी पुत्र श्री कैलाश चन्द माहेश्वरी के पक्ष में जारी किया गया है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के बिंदु संख्या-2 के उपबिंदु संख्या-4 के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर प्लान/जोनल प्लान में दर्शित मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर 12 मीटर रोड, दक्षिण दिशा की ओर खसरा नम्बर 75 (साउथ पार्ट), पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर रोड एवं पश्चिम दिशा की ओर अन्य भूमि है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना के दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कालावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सूचित रहें।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 13/7/23 को जारी की गई।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-1909


दिनांक 06/7/23


## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री गिरधारीलाल अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बोदीलाल अग्रवाल	(1) श्रीमती गीता अग्रवाल पत्नी श्री गिरधारीलाल अग्रवाल (2) श्री गिरधारीलाल अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बोदीलाल अग्रवाल	43	196.84 वर्गगज	निजी खातेदारी	श्री कृष्ण वाटिका	लीज होल्ड से फ्री-होल्ड लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र, हकत्याग पत्र, शपथ पत्र

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

  
उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

  
उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी 1943

दिनांक 10/7/2023

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती अनिता शर्मा पुत्री स्व. लालचन्द शर्मा पत्नी स्व. श्री राजकुमार शर्मा	श्री लालचन्द पुत्र श्री गोविन्द राम	11/OE/606 11/OE/572 11/OE/527 11/OE/730	300 वमी 100 वमी 50 वमी 12.50 वमी	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना ग्राम अभयपुरा	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के आधार पर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञापित प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

उपयुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

**प्राधिकृत अधिकारी जोन-4**  
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**

क्रमांक-जविप्रा/जोन-4/2023/डी-1516

दिनांक 14-07-2023

लोक सूचना

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि ग्राम-झालाना चौड़ तहसील सांगानेर के खसरा नं.- 361, 363, 364 में गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

खातेदरों/उत्तराधिकारियों का विवरण	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
1. चौथू पुत्र बुद्धा के वारिस ग्यारशीलाल, नारायण, लालचन्द, भंवर लाल (पुत्र) केशरदेवी, राधा, भोली, (पुत्रियां) है। व पेमाराम पुत्र चौथू के वारिस केशरदेवी (पत्नि) रागावतार, नन्दलाल, कैलाश, शिवदयाल (पुत्र) है।	झालाना चौड़	361	0.29 हैक्टेयर
1. पांचू पुत्र श्योनाराण के वारिस लक्ष्मीनारायण, राधेश्याम (पुत्र) बाछीदेवी, दाखादेवी, लछमादेवी (पुत्रीया) है।	झालाना चौड़	363	0.11 हैक्टेयर
1. गंगाराम पुत्र नानू 2. नारायण पुत्र नानू 3. धन्नालाल पुत्र नानूराम के वारिस बाछीदेवी (पत्नि) नन्दकिशोर, दामोदर, त्रिलोकचन्द (पुत्र) फूलवति, रुकमणी, सोनिया, नोरती (पुत्रियां) है। 4. महादेव पुत्र नानूराम के वारिस दाखा (पत्नि) भंवरलाल, हनुमान राहाय, पन्नालाल, विजय (पुत्र) सीता, सुशीला, (पुत्रियां) है। 5. लक्ष्मीनारायण पुत्र नानूराम के वारिस गिरधारीलाल, जुगलकिशोर (पुत्र) ललीता, प्रेमदेवी (पुत्री) है। 6. हीरालाल पुत्र नानू के वारिस पानीदेवी (पत्नि) राधेश्याम, नेगीचन्द, धनश्याम, बाबूलाल (पुत्र) श्रीमति गीतोदेवी, श्रीमति लीलादेवी, (पुत्री) है। व कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल के वारिस रेखादेवी (पत्नि) पंकज, सुरेश (पुत्र) मनोरमा (पुत्री) है।	झालाना चौड़	364	0.17 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदानुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक-14-07-2023 को जारी की गयी।

28  
प्राधिकृत अधिकारी जोन-4,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75  
जयपुर  
Amrit Mahotsav

## -:सूचना:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	मूखण्ड संख्या	मूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जवि प्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ऋषिकान्त गोयल	नरेन्द्र बागडा	67 B	91.10	मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति	धनराज सिटी	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
2	संजय जैन	डोली जैन	14 A	143.33	अपोलो नगर गृह निर्माण सहकारी समिति	राधा मुकुट विहार	लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र, लीजडीड, साईट प्लान इत्यादि।

उषायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,  
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय) / 2023 / डी- 1933  
दिनांक 11.5.2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75  
Azadi Ka  
Amrit Mahotsav

## —:सूचना:—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जवि प्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	संजना शर्मा	मंजू यादव	58-D	166.66	मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति	सुमेर नगर विस्तार-ए	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
2	भीम सिंह	बरजी	08	257.77	इनकम टैक्स वि.हा.को.सो. लि.	आयकर नगर-द्वितीय	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय) / 2023 / डी- 1929

दिनांक ..... 11.7.2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.




# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजडीधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री चन्द्र प्रकाश पारीक पुत्र श्री बंशीधर पारीक	श्री दिनेश कुमावत पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण कुमावत	वाई-50	166.66	दी शिवा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि.	6डी इंजीनियर्स कॉलोनी	लीजडीड	आवंटन पत्र ,साईट प्लान, रसीद ,विक्रय पत्र
2.	श्री मधु सुदन पारीक पुत्र श्री बंशीधर पारीक	श्रीमती धन्नी देवी पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण कुमावत	वाई-48	166.66	दी शिवा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि.	6डी इंजीनियर्स कॉलोनी	लीजडीड	आवंटन पत्र ,साईट प्लान, रसीद ,विक्रय पत्र
3.	श्रीमती रीना मीणा पत्नी श्री हरिसिंह मीणा	श्रीमती रीना मीणा पत्नी श्री प्रह्लाद मीणा	13	450.00	भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	किरण विहार	लीजडीड	आवंटन पत्र ,साईट प्लान, रसीद

  
उपायुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),  
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2023/डी-1500 दिनांक 11/07/2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स. / निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती उर्मिल अटोलिया पत्नि श्री अनिल कुमार अटोलिया	श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चन्द गुप्ता	110	138.8 व.ग.	सिरसली ग.नि. स.स.	रामेश्वरम्	लीजडीड हेतु	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर व सूची में नाम दर्ज करने हेतु

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

11.07.23

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/जोन-12/2023/डी-8080

दिनांक 12-7-2023

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 3136

दिनांक:- 11/7/23

## प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन

जविप्रा क्षेत्र में स्थित निजी खातेदारी की आवासीय योजना ओरियन्टल आर्केड के भूखण्ड संख्या 41 क्षेत्रफल 370.45 वर्ग गज की संशोधित फ्री होल्ड लीजीडीड क्रमांक 4303 दिनांक 27.07.2022 को श्री गोपाल खण्डेलवाल पुत्र श्री के. एस. खण्डेलवाल के नाम से जारी की गयी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के बिन्दु संख्या-2 के उपबिन्दु संख्या-iv के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान उत्तर दिशा की ओर 160 फीट सड़क, दक्षिण दिशा की ओर भूखण्ड संख्या 39, पूर्व दिशा की ओर भूखण्ड संख्या 42 एवं पश्चिम दिशा की ओर भूखण्ड संख्या 40 स्थित है।

किन्हीं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त उपान्तरण के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त जोन-9 कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 11/7/23 को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन-9  
उपायुक्त जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (मास्टर प्लान) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-9  
उपायुक्त जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स.- +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय) : फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

उपायुक्त जिन-9  
 जयपुर

010

1. निदेश (आयोजना) जयपुर, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (मास्टर प्लान) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञापन का प्रकाशन दो दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

प्रतिलिपी निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है :-

उपायुक्त जिन-9  
 जयपुर

010

यह विज्ञापन आज दिनांक 11/8/23 को जारी की गयी।

उपायुक्त जिन-9 कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं।

किन्हीं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त उपान्तरण के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव निम्न दस्तावेज़कर्ता अथवा ई।

मूखण्ड संख्या 39, पूर्व दिशा की ओर मूखण्ड संख्या 41 एवं पश्चिम दिशा की ओर 30 फीट सड़क उक्त मूखण्ड के साईट प्लान उत्तर दिशा की ओर 160 फीट सड़क, दक्षिण दिशा की ओर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

नियम-2021 के हिन्दू संख्या-2 के उपबन्ध संख्या-iv के क्रम में मू-उपयोग परिवर्तन आवासीय से नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र मू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) 27.07.2022 को श्रीमती मंजू खण्डेलवाल पत्नी श्री गोपाल खण्डेलवाल के नाम से जारी की गयी है। संख्या 40 क्षेत्रफल 360.90 वर्ग मज की संशोधित फ़ीट होल्ड लीजोड्ड क्रमांक 4302 दिनांक जयपुर क्षेत्र में स्थित निजी खातेदारी की आवासीय योजना अधिनियम आर्कड के मूखण्ड

**प्रस्तावित मू-उपयोग परिवर्तन**

दिनांक:- 11/8/23

क्रमांक: जयपुर/जिन-9/2023/डी-9137







# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू.ओ. नोट

**विषय:-** लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम बाढ़रमजानीपुरा, तहसील चाकसू, के संलग्न खसरा अनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1

  
उपायुक्त  
जोन-14, जयपुर  
जयपुर, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2022/डी-1564  
दिनांक:- 12/07/2023

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102682

दिनांक: 12/07/2023

लोक सूचना

श्री RITIK पुत्र श्री KANHAIYALAL जाति BALAI निवासी VILLAGE PRHALADPURA TEHSIL SANGNAER JAIPUR

श्री HEMRAJ पुत्र श्री KANHAIYALAL जाति BALAI निवासी VILLAGE PRHALADPURA TEHSIL SANGNAER JAIPUR


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	बाढरमजानीपुरा, चाकसू (जयपुर)	RITIK AND HEMRAJ S/O KANHAIYALAL	309/112	400	0.04
				कुल	0.04

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12-07-2023 को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जावड़ा, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-4 / 2023 / डी-

दिनांक

14/7/23

विज्ञप्ति 1514


निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	39	मनोहरपुरा E.W.S.	श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री वासुमल	श्री बाबूलाल भाट पुत्र श्री गुलजार भाट	अपजीकृत इकरारनामा एवं आवंटन के आधार पर पट्टा चाहा है।
2	43	मनोहरपुरा E.W.S.	श्री रेन्वों पुत्र स्व. श्री बाबूलाल भाट	श्रीमती पतासी पत्नी श्री गुलजार भाट	मूल लीजधारिका के मृत्यु प्रमाण/आवंटन/हकत्याग के आधार पर पट्टा चाहा है।
3	3	मनोहरपुरा E.W.S.	श्री अंकित पुत्र श्री नोरंग	श्रीमती गोगली देवी पत्नी श्री नोरंग	मूल लीजधारिका के मृत्यु प्रमाण/आवंटन/हकत्याग के आधार पर पट्टा चाहा है।

हो -  
उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

  
उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल

:dc.zone04@jaipurjda.org



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4 /2023 /डी-1511

दिनांक 14-03-2023

## विज्ञप्ति / सूचना

आवेदक द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	69	गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना कृषि नगर-बी	श्री नरपत सिंह पुत्र श्री दान सिंह	दान सिंह पुत्र स्व. श्री जय सिंह राठौड	पंजीकृत पट्टा, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत हक त्याग पत्र एवं वारिसों के संबंध में शपथ पत्र के आधार पर।

  
उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपी:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

  
उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102631

दिनांक: 13/07/2023

लोक सूचना


श्री तरुण गर्ग पुत्र श्री नरेन्द्र गर्ग जाति महाजन निवासी- वार्ड नं. 17, भगत सिंह चौक, सूरतगढ, श्रीगंगानगर, ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक (वेयर हाउस) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	नेवटा, सांगानेर (जयपुर)	श्री तरुण गर्ग पुत्र श्री नरेन्द्र गर्ग जाति महाजन निवासी- वार्ड नं. 17, भगत सिंह चौक, सूरतगढ, श्रीगंगानगर,	2980/1812	650	0.0650
			2982/1815	4450	0.4450
कुल					0.51

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **13-07-2023** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत-अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा-3/लालकोठी/डी- 337

दिनांक 13/7/23

## विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	दुकान/भूखण्ड सं. व क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खोदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	जगदीश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्रोपराईटर अशोक कुमार अग्रवाल	श्री कैलाश दास उज्जवल पुत्र श्री शिवदत्त	दुकान सं. बी-18	जविप्रा	डिस्ट्रीक्ट शॉपिंग सेन्टर	नाम हस्तान्तरण	स्वघोषण पत्र, पूर्व में जारी लीजडीड, अपंजीकृत इकरारनामा व मुख्तियारनामाआम, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र, इकरारनामा व विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।

उपायुक्त जोन-3  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-3  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

:-आम सूचना:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिव विहार के भूखण्ड संख्या 21 क्षेत्रफल 111.77 पूनम सैनी पुत्री श्री कैलाश चन्द सैनी द्वारा जोन में फ्री-होल्ड/पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत ऑफलाईन के माध्यम से आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड का भाग ग्राम मान्यावास के खसरा नम्बर 30 से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/खातेदार को आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्डों की अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त,

पीआरएन (दक्षिण-प्रथम)

जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा.पीआरएन(दक्षिण प्रथम)/23/डी-1513

दिनांक:-12/07/2023



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू ओ. नोट

विषय:- विज्ञप्ति प्रकाशन दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	विज्ञप्ति प्रकाशन का कारण
1	श्री शम्भुदयाल सैनी पुत्र श्री दामोदर लाल	श्रीमती मनफूली देवी पत्नी श्री गोविन्दराम	ग-142ए	278.33	श्रीजनता	भवानी नगर	लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड	अपंजीकृत दस्तावेजो को मुद्रांकित करवाया गया है।
2	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द	श्रीमती सन्तरा देवी पत्नी श्री विश्वनाथ	48	74.7	तोपखाना	सैन्ट्रल कालोनी फेज-11	नियमन	सूची में नाम अंकित नहीं
3	श्री लोकेश सैनी पुत्र श्री नानूराम सैनी	श्री रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री सोमोत्या मीणा	78-ए	167.00	भैरव	श्रीदेवनगर	नियमन	सूची में नाम नहीं
4	श्री गोपाल लाल सैनी पुत्र श्री तुलसीराम सैनी	श्री कैलाश चन्द माली पुत्र श्री ग्यारसा माली	29	100.00	भैरव	श्रीदेवनगर	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
5	श्री जगदीश पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण	श्री गणेश लाल	14	177.77	तोपखाना देश	सैन्ट्रल कालोनी-11	नियमन	सूची में नाम नहीं

उपायुक्त जोन-6  
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/23/डी-~~2164~~  
2164

दिनांक 13/7/2023

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय-पृथ्वीराज नगर-उत्तर(प्रथम), चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी-673

दिनांक 12/7/23

## आम सूचना

श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी श्री भगवाना राम  
निवासी- मु0पो0 सेसम, तहसील दातारामगढ,  
जिला सीकर, राजस्थान।

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम में श्री महावीर स्वामी गृ. नि. स. स. लि0 की योजना शिव वास्तुपरम विहार के भूखण्ड संख्या 09 का पट्टा-विलेख(फ्री होल्ड) दिनांक 03.05.2023 को आपके नाम जारी किया जा चुकी है, किन्तु पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि आप द्वारा अभी तक उक्त भूखण्ड के सहकारी समिति द्वारा जारी मूल दस्तावेज यथा आवंटन-पत्र, रसीद इत्यादि जोन कार्यालय में जमा नहीं करवाये गये हैं। अतः आप उक्त आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस में उक्त भूखण्ड सहकारी समिति द्वारा जारी समस्त मूल दस्तावेज जोन कार्यालय में प्रस्तुत देवे अन्यथा उक्त जारी लीजडीड के निरस्तीकरण की कार्यवाही कर दी जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

- 34 -

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर(प्रथम)  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को नियमानुसार दैनिक समाचार-पत्र में आम सूचना प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी  
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर(प्रथम)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी-669

दिनांक:-12/2/23

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सोहन लाल धानका पुत्र श्री रामजी लाल	श्री नरपत सिंह शेखावत पुत्र श्री कल्याण सिंह शेखावत	127	217	म्युचुअल हाउसिंग को-ऑपरेटिव सो.	इंजिनियर कॉलोनी	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।
2	श्री शेर सिंह जैन पुत्र श्री सोम नाथ जैन	श्री बलवीर वर्मा पुत्र श्री शिव प्रसाद वर्मा	159	450	मोती भवन	आनन्द नगर	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
3	श्री भूपेन्द्र सिंह राठौड पुत्र श्री पर्वत सिंह	श्री भूपेन्द्र सिंह राठौड पुत्र श्री पर्वत सिंह	234	88.88	महाराणा प्रताप	श्री बालाजी धाम	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।

- Sd -

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त एवं प्रधिकृत अधिकारी  
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1  
जयपुर जविप्रा, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-2006

दिनांक 14/7/23

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री योगेश; नरेश कुमार लाम्बा पुत्रान स्व. श्री नारायण जाट	श्री नारायण जाट पुत्र श्री कानाराम जाट	बी-63-ए	152.78 वर्गगज	निजी खातेदार	शिवांक इन्फोटेक सिटी	नाम हस्तांतरण व लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र

उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञापित प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2574798) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (7402); फैक्स - +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102674

दिनांक: 10/07/2023

लोक सूचना

मैसर्स देव भूमि डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री मुकेश यादव पुत्र श्री गोपाल लाल यादव पता 158, महावीर नगर-बी, बाबा पैराडाईज के पास, गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	तेजावाला, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स देव भूमि डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री मुकेश यादव पुत्र श्री गोपाल लाल यादव पता 158, महावीर नगर-बी, बाबा पैराडाईज के पास, गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर।	247	14000	1.40
			248	1600	0.16
			249	800	0.08
				कुल	1.64

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **10-07-2023** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर